

नेशनल लोक अदालत खंडपीठ क. 07 कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)
नेशनल लोक अदालत की तिथी— 11.02.2023
संबंधित न्यायालय का नाम— बृजेश राय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)

आपराधिक प्रकरण क्र०— 2193 / 2022

1. अविनाश चौहान पिता श्री गोपाल चौहान, उम्र—36 वर्ष, सा.संतोषी कुटी के पास मुड़ापारा कोरबा चौकी मानिकपुर थाना कोतवाली कोरबा छ.ग.

.....प्रार्थी / आहतगण

विरुद्ध

1. दिनेश चौहान, पिता विष्णु प्रसाद चौहान, उम्र—21 वर्ष ,
 2. फजलअली पिता अबजल अली उम्र—21 वर्ष,
 3. सुरेश कुमार चौहान, पिता स्व. कुशल सिंह चौहान, उम्र—23 वर्ष
 4. अलताफ खान पिता मन्नवर खान उम्र—21 वर्ष
- सभी निवासी मुड़ापारा कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)

.....अभियुक्तगण

अधिनिर्णय / आदेश

(दिनांक 11.02.2023 को घोषित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 506 भाग दो, 323, 34 भा.द.सं. के अपराध के तहत अभियोग पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थी, आहत की ओर से अभियुक्तगण के साथ राजीनामा व्यक्त करते हुए प्रकरण नेशनल लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी की पहचान प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं आरोपी के अधिवक्ता द्वारा की गयी है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अधिनिर्णय / आदेश :-

प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 506, 323, 34 भा.द.सं. के तहत अभियोग है, जो कि राजीनामा अपराध है। चूंकि प्रार्थी/आहतगण व उसके विधिक संरक्षक ने अभियुक्तगण के साथ स्वेच्छया, बिना डर दबाव के राजीनामा करना बताया गया है तथा प्रार्थी राजीनामा करने में सक्षम है। अतः राजीनामा की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 506, 323, 34 भा.द.सं. के अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण के पूर्व जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा बांस का डण्डा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

अधिनिर्णय/आदेश की एक-एक प्रति उभयपक्ष को निःशुल्क दी जावे।

सही /—

सही /—

सही /—

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

सदस्य

सदस्य

पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत
खंडपीठ क.—07
कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)